(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या 16/2019-केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 2019

सा.का.नि........ (अ.)- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 3/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 675 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,

(i) सारणी में, क्रम संख्या 1 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, मद (5) के पश्चात, निम्नलिखित मद को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(6) हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाईसेंसिंग पॉलिसी (HELP) या ओपेन एक्रेज लाईसेंसिंग पॉलिसी (OALP) के अधीन विनिर्दिष्ट संविदाओं के अधीन प्रारंभ किए गए पेट्रोलियम संबंधी प्रचालन या कोयला संस्तर संबंधी प्रचालन";

(ii) अनुबंध में, शर्त संख्या 1 के समक्ष, उपवाक्य (ड.) के अंत में निम्नलिखित परन्तुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"परंतु जहां इस प्रकार पूर्ति किए गए माल का विकृत के पश्चात अप्रयोज्य रूप में निपटान किया जाना है, वहां बाह्य आपूर्ति का प्राप्तकर्ता या अंतरिती, जैसी भी स्थिति हो, अपने विकल्प पर ऐसे माल के संव्यवहार मूल्य के 9 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान कर सकता है, बशर्ते कि ऐसे निस्तारण से पूर्व उक्त बाह्य आपूर्ति का प्राप्तकर्ता या अंतरिती, जैसी भी स्थिति हो, उस उप आयुक्त, केन्द्रीय कर या सहायक आयुक्त, केन्द्रीय कर या उप आयुक्त, राज्य कर या सहायक आयुक्त, राज्य कर, जैसी भी स्थिति हो, जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त माल का आपूर्तिकर्ता आता हो, को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के किसी विधिवत अधिकारी से प्राप्त इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि उक्त माल अप्रयोज्य हो गया है और यह निपटान से पहले विकृत भी हो गया है";

2. यह अधिसूचना 01 अक्तूबर, 2019 से लागू होगी ।

(फाइल संख्या 354/131/2019-टीआरयू)

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार